शेखी बनाम देवी वगैरह (344/2023)

आदेश दिनांक–: 19.12.2023

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 20.11.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा मूल अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का विस्तृत जवाब दिनांक 07.06.2023 को मयी दस्तावेजी साक्ष्य के उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के साथ ही आदेश 39 नियम 03 ए सी0पी0सी0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों की पालना किये जाने तथा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.04.2023 की अवधि का विस्तार नही किया जाकर आदेश 39 नियम 03 ए सीपीसी की पालना किये जाने हेतु निवेदन किया गया साथ ही मूल राजस्व वाद संख्या 19/2023 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत करते हुए वाद की पोषणीयता एवं क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी गयी। इस प्रकार प्रार्थीगण के निरन्तर प्रयासों के उपरांत भी उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण में सुनवाई नही कर आदेश 39 नियम 03 जा0दी0 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.04.2023 की अवधि का विस्तार किये जाने के साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 लगायात 05 को अनुचित लाभ पहुंचाये जाने के आशय से निरन्तर पेशीयां प्रदान की जा रही है इस कारण प्रार्थीगण को एकपक्षीय दिनांक 28.04.2023 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी का उचित पर्याप्त एवं विधिक आधार होने से देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत की जाने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि प्रकरण मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पैतृक संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की होकर प्रार्थीगण के दादा घीसा पुत्र मोती का अविभाजित 1/4 हिस्सा निहित करता है, जिनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण के खातेदार, काबिज–काश्तकार चले आ रहे है, जिन्हे एक पक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.04.2023 की आड में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 द्वारा अनावश्यक रूप से हैरान व परेशान करते हुए उपयोग–उपभोग इत्यादि में बाधा उत्पन्न कर रहे है, और यदि वह अपने विधिक कृत्य में सफल हो जाते है, तो प्रार्थीगण द्वारा मूल अपील प्रस्तुत किये जाने का आशय ही समाप्त होकर प्रकरणों की बहुलता में लिप्त होना होगा, जिससे होने वाली आर्थिक व मानसिक क्षति का मुद्रा में आंकलन किया जाना असम्भव है। अतः ताफैसला मूल अपील आदेश दिनांक 28.04.2023 की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति को स्थगित फरमाये जाने हेतु यह स्थगन प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष दिनांक 07.06.2023 को ही विस्तृत जवाब एवं अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.04.2023 की अवधि का विस्तार नही किया जाकर आदेश 39 नियम 03 ए सीपीसी की पालना किये जाने हेतु निवेदन किये जाने एवं अपील में वर्णित विधिक आधारों, दस्तावेजी साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टांतो के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, कानून, न्याय व समानता प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान करते है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 18/2023 में पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 28.04.2023 की पालना, प्रभाव एवं क्रियान्विति को स्थगित फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर0आर0टी0 2007(1) पेज 125, आर0बी0जे0 1998 पेज संख्या 218, आर0आर0डी0 1998 पेज संख्या 497 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के समक्ष देवी व अन्य बनाम शेखी व अन्य उनवान से 212 आरटी एक्ट के तहत सुनवाई हेतु 18/2023 प्रकरण प्रस्तुत किया गया था दिनांक 28.4.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाता संख्या 148 ग्राम होकरा तहसील पुष्कर के खसरा नम्बर 3203 रकबा लगातार...

शेखी V/s देवी (344/2023)

0.3900 है0 भूमि पर एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया था उक्त न्यायालय प्रोसिडिंग में वर्तमान अपीलांट पक्ष की ओर से दिनांक 7.6.2023 को विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया था। तथा निषेधाज्ञा अवधि का विस्तार नहीं किए जाने हेतु निवेदन किया गया था इसके अलावा मूल राजस्व वाद संख्या 19/2023 में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए वाद की पोषणीयता एवं क्षेत्राधिकार को भी चुनौति दी गई मगर उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.4.2023 की अवधि का विस्तार किया जा रहा है साथ ही निरंतर पेशियां दी जा रही है इस वजह से ही अपील को प्रस्तुत करना पड रहा है और इसी वजह से अपील में देरी हुई है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाए व अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किए जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण प्रोसिडिंग 18/2023 दिनांक 26.4.2023 से दिनांक 12.7.2023 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी मूल वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रार्थना पत्र अंतर्गत 151 सीपीसी जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत 212 का अवलोकन किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.4.2023 को रेस्पोडेंट देवी के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश जारी करते हुए विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बाबत आदेश दिया था। तथा जवाब प्रस्तुत करते हेतु दिनांक 29.5.2023 की तिथि तय की गई थी। दिनांक 2.6.2023 को शेखी व अन्य रेस्पोडेंट 1 से 5 के द्वारा वकालतनामा अभिभाषक नरेन्द्र सिंह राजावत के द्वारा प्रस्तुत करवाया गया। पत्रावली रेस्पोडेंट नम्बर 6 जो कि तहसीलदार पुष्कर है की तलबी एवं जवाब 1 से 5 हेतु तय की गई तथा अगली तिथि दिनांक 7.6.2023 रखी गई। वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को शामिल नहीं किया गया और पेशियां दी जाती रही ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के मेण्डेटरी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। रेस्पोडेंट के उपस्थित नहीं होने पर बहस सुनी जाकर निषेधाज्ञा पर उचित निर्णय किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पास अपील करने के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं रहता है। अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित भूमि में प्रार्थीगण के दादा घीसा पुत्र मोती का अविभाजित 1/4 हिस्सा निहित है प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं और अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में वे अपीलांट गण को परेशान कर रहे हैं। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.4.2023 की पालना व प्रभाव की कियान्विति को स्थगित किया जाए। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलांटगण ने अपने पक्ष में बताया।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छिपाते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के द्वारा दावा और 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। 212 के प्रार्थनापत्र का नम्बर 18/2023 है। दिनांक 28.4.2023 को हमें नोटिस मिल गए और हम न्यायालय में उपस्थित भी हुए। दिनांक 28.4.2023 को न्यायालय द्वारा दिनांक 3.6.2023 की तारीख दी गई जो तिथि बाद में काट दी गई जो बिना हमे सुने दिनांक 28.4.2023 को उनके द्वारा प्रस्तुत 151 सीपीसी के प्रार्थनापत्र में उनके पक्ष में सुनवाई कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 2.6.2023 को मेरे द्वारा वकालतनामा पेश किया गया साथ में जवाब भी पेश किया गया। दिनांक 7.6.2023 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हमारे द्वारा निवेदन किया गया कि स्टे अवधि का विस्तार नहीं करे तथा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करे। जमीन स्वयं खातेदारी की है। चार खाते है। तेजा पुत्र कालू हमारे पिता है। तीन खातों में मेरे पिता की वल्दियत सही होने से खाता खुल चुका है। मगर खसरा नम्बर 3203 जो कि खाता सख्या 148 में है। वह खसरा नम्बर विवादित है। इसमें घीसा पुत्र मोती की जगह घीसा पुत्र पिथा लिख दिया गया इस बाबत हमने काउण्टर क्लेम के माध्यम से संशोधन चाहा गया है। हम स्टरेन्जर नहीं होकर सहखातेदार है मात्र

19/12/2023

राजस्व अपील प्राधिकारी

शेखी वि० देवी (344/2023)

वल्दियत में गलती होने से स्टरेन्जर नहीं हो सकते सह खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया भूरा पुत्र बाघा और सांवला का 1/4 हिस्सा होने के बावजूद उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जवाब प्रस्तुत करने के बाद भी मेरे जवाब को रिकार्ड पर नहीं लिया गया। तलबाना पेश नहीं करने पर न्यायालय के निर्देश की पालना नहीं मानने पर वाद खारिज किया जाना चाहिए था। आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का जवाब भी फाईल पर नहीं लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी की पालना नहीं की जा रही है। अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किया जाए। एक सहखातेदार बिना बंटवारे दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नहीं ला सकता है।

बहस सुनी गई। बहस बिंदुओं पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 3203 ग्राम होकर के खाता संख्या नया 148 में घीसा पुत्र पीथा, देवी पुत्र लादू, नानू पुत्र लादू, नारायण पुत्र लादू, पांचू पुत्र लादू, भूरा पुत्र बाघा, भीली पत्नि लादू, शैतान पुत्र लादू और सांवला वगैरह के नाम दर्ज रिकार्ड है और इसका रकबा 0.3900 हैक्टर है। इसी गांव के खाता संख्या 887, में तेजा पुत्र कालू का खसरा नम्बर 1765, 1768 में 1/16 हिस्सा दर्ज है तथा इसी गांव के खाता संख्या 911 में तेजा पुत्र कालू का खसरा नम्बर 1742, 1744 में 1/16 हिस्सा दर्ज है। वर्तमान अपीलांट शेखी, तेजा का पुत्र है। ग्राम पंचायत खोरी के सजरा प्रमाण पत्र 05.03.2012 तेजा कालू का पुत्र है जो कि मूल पुरूष घीसा पुत्र मोती का पुत्र है। मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत खोरी दिनांक 13.08.2012 के अनुसार घीसा पुत्र मोती की मृत्यु 13.09.1973 को हो चुकी है तथा कालू पुत्र घीसा की मृत्यु 21.04.1988 को हो जाना बताया है। होकरा के ही खाता संख्या 892 में तेजा पुत्र कालू का हिस्सा 1/8 खसरा नम्बर 1743 के संदर्भ में बताया गया है। अपील मिमों के अनुसार अपीलांट पक्ष की ओर से आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के मूल वाद संख्या 19/2023 में प्रस्तुत किया गया था साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब भी उनके द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था मगर फिर भी उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि का विस्तार किया जाता रहा है तथा क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर भी उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं करते हुए रेस्पोडेन्टस को अनुचित लाभ पहुचाने की चेष्टा की गई है और साथ ही सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 03 के आज्ञापक सिद्वान्तों की भी अवहेलना की जा रही है। अपीलांट का यह भी उज्र है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शेष पक्षकारान की तलबी नहीं कि जा रही है। किन्तु अपीलांट विवादित खसरा नम्बर 3203 में किस प्रकार से व्यथित पक्षकार है यह प्रथम दृष्टया साबित नहीं कर पाये है साथ ही प्रासेंडिंग के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रासेंडिंग दिनांक 02.06.2023 को वर्तमान अपीलांट द्वारा मात्र वकालतनामा ही पेश किया जाना पाया जाता है कोई जवाब पेश करना नहीं पाया जाता है। विवादित भूमि में अपीलांट के हक एवं अधिकार बाद साक्ष्य एवं सुनवाई मूल वाद में तय किये जायेंगे। पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मद्येनजर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम में शेष रेस्पोडेन्ट की तलबी पूर्ण कर बहस हेतु नियत किया जावें यदि रेस्पोडेंटस द्वारा शेष पक्षकारान की तलबी बाबत प्रक्रिया नहीं की जाती है तो सी0पी0सी0 के आदेश 09 नियम 05 के तहत कार्यवाही करें तथा प्रकरण का निस्तारण हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक से 3 सप्ताह की अवधि के अन्दर गुणावगुण पर आवश्यक रूप से करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

19.12.2023

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर